निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 1/2016
दायरा दिनांकः—07.01.2016
निर्णय दिनांकः—18-12-24

उनवान

1. भंवरलाल आयु 65 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति धाकड निवासी रीछडा
2. बद्रीलाल आयु 58 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति धाकड निवासी रीछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
2. सत्यनारायण आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
3. लालचन्द आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
4. किशनगोपाल आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
5. शान्तिबाई पत्नि रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
7. उप पंजियन अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92ए,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—18-12-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के पिता स्व. भैरू (भैरूलाल) आत्मज पन्ना जाति धाकड के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम माल चावलखेडी तहसील छबडा भूमि खसरा नं. 269 रकबा 2 बीधा 11 विस्वा व खसरा.न. 270 रकबा 10 बिस्वा पर वादीगण व उसके मौके की स्थिति के अनुसार आज तक बिना किसी बाधा व्यवधान के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता भैरू का स्वर्गवास 16—17 वर्ष पूर्व हो चुका उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड नकल जमाबन्दी संलगन वाद पत्र प्रस्तुत है। वादीगण खातेदार मृतक भैरू की सन्तान एव वैधवारिसान व कायम मुकामान हैं वादीगण एवं उनके परिजन के अतिरिक्त अन्य कोई खातेदार मृतक भैरू के वारिस

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नही हैं। वादीगण की माता का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। इसलिए कानूनन वादीगण ही खातेदार मृतक भैरू की पेत्रिक सम्पत्ति के अधिकारी हैं। वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से ग्राम रिछडा में निवास कर रहे हैं वादीगण की अन्य आराजी भी रिछडा मे हैं इसलिए प्रतिवादीगण वादीगण के दूर के रिश्तेदार होने के कारण पूर्व मे उक्त भूमि को प्रतिवादी मोहन को पांती व मुनाफा काश्त पर दे रखी थी। वर्तमान में कब्जा वादीगण का हैं। वादीगण वर्तमान में रिछडा ग्राम मे रहने के कारण प्रतिवादीगण ने इसी बात का गलत नाजायज फायदा उठाते हुऐ वादीगण के पिता भैरू की उक्त भूमि का विधिविरूध फर्जी फोती इन्तकाल न. 674 चावलखेडी अपने नाम राजस्व कर्मचारी से साठगाठ करके कपट, छल पूर्वक विधिविरूध फर्जी खुलवा लिया व राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज करा लिया है जिसे वादीगण हटवाने के वैधानिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण मृतक रामचरण की सन्तान व वारिसान जिनका वादीगण की वंशावली एवं उनके परिवार से कोई पारिवारीक सम्बन्ध नहीं है इसलिए वादीगण के पिता भैरू की उक्त भूमि का विधिविरूध फोती इन्तकाल न 674 चावलखेडी जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व कर्मचारी से साठगाठ करके कपट, छल पूर्वक विधि विरूध फर्जी खोला गया उसे वादीगण निरस्त कराने एवं राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है। जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रतिवादीगण उक्त फर्जी विधिविरूध फोती इन्तकाल न. 674 चावलखेडी के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि को रहन बैचान अन्तरण व वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त आदि बाधा उत्पन्न करने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृत्य ना करने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना अतिआवश्यक व न्यायौचित है। इसलिए वादीगण विरूध प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादीत आराजी रेवेन्यू रिकार्ड में उनकी खातेदारी दर्ज होने का विधि विरूध गलत नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रतिवादी उक्त आराजी को चुपचाप अन्तरण खुर्द–बुर्द, अन्तरण करने अथवा अतिक्रमण करने पर वादीगण को अकारण ही कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप वादीगण को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है। वादीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 31.12.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण उक्त फोती इन्तकाल न. 674 चावलखेडी खारिज कराने व उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने को कहां तो वह साफ इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादीत आराजी रेवेन्यू रिकार्ड में उनकी खातेदारी दर्ज होने का विधि विरूध गलत नाजायज फायदा उठाते हुऐ प्रतिवादी उक्त आराजी को चुपचाप अन्तरण खुर्द–बुर्द अन्तरण करने अथवा अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसकी धमकी भी दी। इसलिए वादी को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि प्रतिवादी उक्त भूमि का अन्तरण कभी–भी कर सकते हैं इसलिए यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण राज्य सरकार को बिना नोटिस जारी किए यह वाद प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का सलग्न प्रस्तुत है। यदि नोटिस देने व उसकी अवधि का इन्तजार किया गया तो वादीगण को अपनी भूमि से विमुख होना पड़ेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नही होने के कारण जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 64 नकल नामान्तरण संख्या 674 ग्राम चावलखेडी नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 95 नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 143 पेश की गई। साक्ष्य वादी में भंवरलाल, बद्रीलाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के पिता भैरू पुत्र पन्ना जाति धाकड के खातेदारी की थी वादीगण के पिता भैरू का स्वर्गवास 16–17 वर्ष पूर्व हो चुका है। खातेदार मृतक भैरू की पैत्रक सम्पत्ति है वादीगण की अन्य भूमि ग्राम रीछडा में है प्रतिवादीगण वादीगण के दुर के रिश्तेदार होने की वजह से विवादित भूमि मोहन को पांती व मुनाफा काश्त पर दे रखी थी। वर्तमान में कब्जा वादीगण का चला आ रहा है प्रतिवादीगण ने गलत फायदा उठा कर वादी के पिता भैरूलाल की भूमि का विधि विरूद्ध नामान्तरण संख्या 674 अपने नाम खुलवा लिया। प्रतिवादीगण मृतक रामचरण की सन्तान व वारिसान है प्रतिवादीगण के परिवार से वादीगण का कोई पारिवारिक सम्बन्ध नही है वादीगण नामान्तरण संख्या 674 को खारिज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी उनके खातेदारी में होने का नाजयाज फायदा उठाना चाहतें है वादीगण नामान्तरण संख्या 674 को खारिज कराने एवं विवादित आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 674 ग्राम चावलखेडी के अनुसार खातेदार भैरू फोत होने पर मुताबिक सजरा नामान्तरण दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 64 में भैरू पुत्र पन्ना जाति धाकड सा0देह का नाम दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 674 दिनांक 17.1.2013 विरासत से मृतक भैरू के स्थान पर वारिसान पुत्र मोहनलाल, सत्यनारायण,लालचन्द, किशनगोपाल व बेवा शान्ति बाई के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है। नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 95 में भंवरलाल,बद्रीलाल पुत्र भैरू, रूकमणी, हरकुबाई ,द्रोपती बाई पुत्रिया भैरूलाल मदनबाई बेवा भैरूलाल कोम धाकड सा0देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 143 में मोहन सत्यनारायण लालचन्द, किशनगोपाल पुत्र रामचरण, शान्तिबाई बेवा रामचरण हिस्सा 1/2 दर्ज है खातेदार भैरू के फोत होने पर नामान्तरण संख्या 674 मुताबिक सजरा पुत्र मोहनलाल, सत्यनारायण लालचन्द व किशनगोपाल एवं बेवा शान्तिबाई के नाम दर्ज किया गया। तथा जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 143 में मोहन, सत्यनारायण, लालचन्द किशनगोपाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रामचरण शान्तिबाई बेवा रामचरण दर्ज है इस सम्पूर्ण वाद में वादी को चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वादी के पिता भैरू और प्रतिवादी के पिता भैरू आत्मज पन्ना एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति होने की स्थिति में वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषण प्रदान की जानी है। एवं इसे साबित करने का भार वादी पर ही है। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 674 दिनांक 17.01.2013 (प्रदर्श 1) एवं जमाबन्दी ग्राम चावलखेडी सम्वत् 2068–71 (प्रदर्श 2) में वर्णित खातेदारी भैरू आत्मज पन्ना साकिन देह के रूप में दर्ज है। अर्थात भैरू को चावलखेडी का निवासी बताया है इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2068–71 (प्रदर्श 3) में वर्णित खातेदार भैरू साकिन देह के रूप में दर्ज है। अर्थात् भैरू को रीछडा का निवासी बताया है अर्थात् यह साबित नही है कि यह दोनो एक ही व्यकि है वादी द्वारा इनके पिता भैरू का मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सकें कि भैरू आत्मज पन्ना वादी का पिता है उपरोक्त के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड/साक्ष्यों के आधार पर वादी अपने क्लेम को साबित करने में विफल रहा है। अतः चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 1/2016	धारा 88,89,91,92ए,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः–

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री भगवान कृष्ण बलरिया–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. भंवरलाल आयु 65 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति धाकड निवासी रीछडा
2. बद्रीलाल आयु 58 वर्ष आत्मज भैरूलाल जाति धाकड निवासी रीछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
2. सत्यनारायण आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
3. लालचन्द आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
4. किशनगोपाल आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी
5. शान्तिबाई पत्नि रामचरण जाति धाकड निवासी चावलखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
7. उप पंजियन अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही निम्नानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ..... को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		